उत्तर प्रदेश शासन,

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

संख्या-59/2016 /सा0-790/38-2-2016-24बी/2016,

लखनऊ: दिनांक: 29 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-33, सन् 1961) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल जिला-**शामली** में इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित विकास खण्ड-ऊन, कैराना एवं शामली के ग्रामीण क्षेत्रों को उपान्तरित करते हैं और यह निदेश देते हैं कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित न्याय पंचायत सर्किल-टपराना, न्याय पंचायत सर्किल-टिटौली एवं न्याय पंचायत सर्किल-लॉक में नीचे अनुसूची के स्तम्भ-4 में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत होंगी।

अनुसूची

जिला का नाम	**खण्ड का नाम**	**न्याय पंचायत सर्किल**	**ग्राम पंचायत सर्किल, जिनसे न्याय पंचायत के क्षेत्र का गठन होगा**
1	**2**	**3**	**4**
शामली	ऊन	टपराना	रज्जाकनगर, टपराना, पीरखेडा, जमालपुर
	कैराना	टिटौली	बधुपुरा
	शामली	लॉक	लॉक, बहावडी, भिक्का माजरा, बुटराडी, काबडौत, मालैण्डी, मुन्डेट कलां, बधैव कन्नूखेड़ा, कसेरवा खुर्द, टिटौली, कसेरवां कला

आज्ञा से,

दीपक त्रिवेदी

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-59/2016/सा0-790(1)/38-2-2016-24बी/2016, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त संयुक्त/उप विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- विधायी अनुभाग-1
9- पुस्तकालयाध्यक्ष, विधान सभा पुस्तकालय, विधान सभा सचिवालय को 05 प्रतियां।
10- पंचायतीराज अनुभाग-1/2/3
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
12- संयुक्त सचिव, भाषा विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय को इस अधिसूचना को उर्दू में अनुवाद कर असाधारण गजट में प्रकाशित कराने हेतु।
13- समस्त अनुभाग, ग्राम्य विकास विभाग।
14- समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ।

आज्ञा से,

सुशील कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या-59/2016/सा0-790(2)/38-2-2016-24बी/2016, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय शाखा मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को आगामी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 के खण्ड-ख के परिनियम आदेश में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

मुद्रित अधिसूचना की 500 प्रतियां कृपया ग्राम्य विकास अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश सचिवालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

सुशील कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Uttar Pradesh Shasan
Gram Vikas Anubhag-2

In the pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.-59/2016/sa-790/38-2-2016-24B/2016, Dated: December 29 , 2016.

NOTIFICATION

No.-59/2016 / sa-790/ 38-2-2016-24B/2016.
Lucknow: Dated: December 29, 2016

In excercise of powers under section 3 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 (U.P. Act. no. 33 of 1961), the Governor is pleased to modify the rural areas of Vikas Khand-Un, Kairana and Shamli mentioned in column 2 of the Schedule below of District Shamli and direct that the nyaya panchayat circle Taprana, nyaya panchayat circle Titauli and nyaya panchayat circle Lank mentioned in column 3 of the Schedule below shall consists of the village panchayats specified in column 4 of the Schedule below, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

Name of District	Name of Khand	Name of Nyaya Panchayat circle	Village Panchayat circle which shall constitute the area of the Nyaya Panchayat
1	2	3	4
Shamli	Un	Taprana	Razzaknagar, Taprana, Peerkheda, Jamalpur
	Kairana	Titauli	Budhupura
	Shamli	Lank	Lank, Bahawadi, Bhikka Majra, Butradi, Kabdaut, Malaindi, Mundet Kala, Badhaiv Kannukheda, Kaserwa Khurd, Titauli, Kaserwa Kala

By Order,

Deepak Trivedi
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।